



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

माघ 11, रविवार, शके 1942-जनवरी 31, 2021
Magha 11, Sunday, Saka 1942-January 31, 2021

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

जन अभियोग निराकरण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 30, 2021

जी.एस.आर.242 :-राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं0 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0 प.13(1)प्र.सु./सम/अनु-1/2008 दिनांक 5 अक्टूबर 2011, समय समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 5 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 31 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या 31ए तथा 31बी एवं उनकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात:-

"

31ए.	पालनहार योजना	90 दिवस	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी	-	जिले में पदस्थापित उप निदेशक / सहायक निदेशक	आयुक्त/निदेशक , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर
31बी.	लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना	90 दिवस	अतिरिक्त निदेशक (पेंशन एवं पन्नाधाय)	उप निदेशक (पेंशन एवं पन्नाधाय)	जिला कलेक्टर	आयुक्त/निदेशक , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर

"

(ii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के विद्यमान क्रम संख्या 07 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 48 बी एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात नये क्रम संख्या 48सी एवं उसकी

प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात:-

"

	48सी.	समस्त डी.जी. सैट के ऊर्जाकरण के लिये स्वीकृति जारी करना	07 दिवस	वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय	सहायक विद्युत निरीक्षक	विद्युत निरीक्षक	-	
--	-------	---	---------	--	------------------------	------------------	---	--

"

(iii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के विद्यमान क्रम संख्या 9 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 53 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात नये क्रम संख्या 53ए, 53बी तथा 53सी एवं उनकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात :-

"

	53ए.	विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 के तहत विस्फोटक विनिर्माण भंडारण, बिक्री, परिवहन की स्थापना के लिये एनओसी	6 माह	जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/अति. पुलिस उपायुक्त	संभागीय आयुक्त/महानिदेशक पुलिस	शासन सचिव, गृह विभाग	
	53बी.	आडिटोरियम के लिये लाईसेंस/सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान/सार्वजनिक मनोरंजन के लिये प्रदर्शन	30 दिवस	जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/अति. पुलिस उपायुक्त	संभागीय आयुक्त/महानिदेशक पुलिस	शासन सचिव, गृह विभाग	
	53सी.	सिनेमैटोग्राफ लाईसेंस और लाईसेंसिंग फिल्मस के लिये लाईसेंस	50 दिवस	जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/अति. पुलिस उपायुक्त	संभागीय आयुक्त/महानिदेशक पुलिस	शासन सचिव, गृह विभाग	

(iv) सारणी के कॉलम संख्या 1 के विद्यमान क्रम संख्या 10 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 57 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात नये क्रम संख्या 57ए, 57बी, 57सी, 57डी, 57ई, 57एफ, 57जी, 57एच, 57आई, 57जे, 57के, 57 एल, 57एम तथा 57एन एवं उनकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात:-

"

	57ए.	वाहनो का सामान्य पंजीयन	निजी वाहन 02 दिवस व्यवसायिक वाहन 03 दिवस	पंजीयन अधिकारी (जिला परिवहन अधिकारी/मोटर वाहन निरीक्षक/उप निरीक्षक)	मोटर वाहन निरीक्षक/उप निरीक्षक	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	परिवहन आयुक्त	
	57बी.	वाहन का	निजी वाहन 45 दिवस	पंजीयन अधिकारी	मोटर वाहन निरीक्षक/उप निरीक्षक	प्रादेशिक परिवहन	परिवहन आयुक्त	

		असाईमेंट	व्यावसायिक वाहन 60 दिवस	(जिला परिवहन अधिकारी/मोटर वाहन निरीक्षक/उप निरीक्षक)	निरीक्षक	अधिकारी	
57सी.	वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण	निजी वाहन-02 दिवस (राज्य में पंजीकृत वाहनो के लिये) 45 कार्य दिवस (राज्य से बाहर पंजीकृत वाहनो के लिये)	व्यावसायिक वाहन-03 दिवस (राज्य में पंजीकृत वाहनो के लिये) 60 कार्य दिवस (राज्य से बाहर पंजीकृत वाहनो के लिये)	पंजीयन अधिकारी (जिला परिवहन अधिकारी/मोटर वाहन निरीक्षक/उप निरीक्षक)	मोटर वाहन निरीक्षक/उप निरीक्षक	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	परिवहन आयुक्त
57डी.	अनापति प्रमाण-पत्र	निजी वाहन 02 दिवस	व्यवसायिक वाहन 03 दिवस	पंजीयन अधिकारी (जिला परिवहन अधिकारी/मोटर वाहन निरीक्षक/उप निरीक्षक)	मोटर वाहन निरीक्षक/उप निरीक्षक	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	परिवहन आयुक्त
57ई.	गिरवी, अनुबन्ध हायर परचेज आदि की पंजीयन में प्रविष्टि	निजी वाहन 02 दिवस	व्यवसायिक वाहन 02 दिवस	पंजीयन अधिकारी (जिला परिवहन अधिकारी/मोटर वाहन निरीक्षक/उप निरीक्षक)	मोटर वाहन निरीक्षक/उप निरीक्षक	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	परिवहन आयुक्त
57एफ.	हायर, परचेज, टरमीनेशन	निजी वाहन 02 दिवस	व्यवसायिक वाहन 02 दिवस	पंजीयन अधिकारी (जिला परिवहन अधिकारी/मोटर वाहन निरीक्षक/उप निरीक्षक)	मोटर वाहन निरीक्षक/उप निरीक्षक	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	परिवहन आयुक्त
57जी.	कर चुकता प्रमाण-पत्र	निजी वाहन 07 दिवस	व्यवसायिक वाहन 07 दिवस	पंजीयन अधिकारी (जिला परिवहन अधिकारी/मोटर वाहन निरीक्षक/उप निरीक्षक)	मोटर वाहन निरीक्षक/उप निरीक्षक	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	परिवहन आयुक्त

57एच.	पंजीयन प्रमाण-पत्र की डुप्लीकेट प्रति जारी करना	निजी वाहन 02 दिवस व्यवसायिक वाहन 02 दिवस	पंजीयन अधिकारी (जिला परिवहन अधिकारी/मोटर वाहन निरीक्षक/उप निरीक्षक)	मोटर वाहन निरीक्षक/उप निरीक्षक	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	परिवहन आयुक्त
57आई.	अस्थायी पंजीयन	निजी वाहन 01 दिवस व्यवसायिक वाहन 01 दिवस	पंजीयन अधिकारी (जिला परिवहन अधिकारी/मोटर वाहन निरीक्षक/उप निरीक्षक)	मोटर वाहन निरीक्षक/उप निरीक्षक	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	परिवहन आयुक्त
57जे.	कंडक्टर लाईसेन्स	व्यवसायिक वाहन 02 दिवस	अनुज्ञप्ति अधिकारी (जिला परिवहन अधिकारी/मोटर वाहन निरीक्षक/उप निरीक्षक)	मोटर वाहन निरीक्षक/उप निरीक्षक	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	परिवहन आयुक्त
57के.	डुप्लीकेट कंडक्टर लाईसेन्स जारी करना	व्यवसायिक वाहन 02 दिवस	अनुज्ञप्ति अधिकारी (जिला परिवहन अधिकारी/मोटर वाहन निरीक्षक/उप निरीक्षक)	मोटर वाहन निरीक्षक/उप निरीक्षक	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	परिवहन आयुक्त
57एल.	फिटनेस	व्यवसायिक वाहन 01 दिवस	पंजीयन अधिकारी (जिला परिवहन अधिकारी/मोटर वाहन निरीक्षक/उप निरीक्षक)	मोटर वाहन निरीक्षक/उप निरीक्षक	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	परिवहन आयुक्त
57एम.	डुप्लीकेट फिटनेस	व्यवसायिक वाहन 02 दिवस	पंजीयन अधिकारी (जिला परिवहन अधिकारी/मोटर वाहन निरीक्षक/उप निरीक्षक)	मोटर वाहन निरीक्षक/उप निरीक्षक	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	परिवहन आयुक्त
57एन.	एम.टी.पी. iv बुक जारी करना	व्यवसायिक वाहन 02 दिवस	कराधान अधिकारी (जिला परिवहन अधिकारी/मोटर वाहन निरीक्षक/उप निरीक्षक)	मोटर वाहन निरीक्षक/उप निरीक्षक	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	परिवहन आयुक्त

(v) सारणी के कॉलम संख्या 1 के विद्यमान क्रम संख्या 11 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 65बी एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात नये क्रम संख्या 65सी से 65एफ एवं उनकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात:-

65सी.	आबकारी उत्पादन इकाईयों के मदिरा ब्रान्ड का पंजीकरण एवं लेबल का नवीनीकरण	05 दिवस	-	अतिरिक्त आयुक्त आबकारी (नीति) राजस्थान उदयपुर	आबकारी आयुक्त	राज्य सरकार (शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग)
65डी.	प्रासव (स्प्रेट) के आयात एवं निर्यात हेतु परमिट (पारपत्र) जारी करने	02 दिवस	-	अतिरिक्त आयुक्त आबकारी (नीति) राजस्थान उदयपुर	आबकारी आयुक्त	राज्य सरकार (शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग)
65ई.	भारत निर्मित विदेशी मदिरा के आयात एवं निर्यात हेतु परमिट (पारपत्र) जारी करने	02 दिवस	-	अतिरिक्त आयुक्त आबकारी (नीति) राजस्थान उदयपुर	आबकारी आयुक्त	राज्य सरकार (शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग)
65एफ.	स्थानीय बिक्री हेतु परमिट (पारपत्र) जारी करने	02 दिवस	-	वृत आबकारी निरीक्षक	जिला आबकारी अधिकारी	संबंधित अतिरिक्त आबकारी आयुक्त

(vi) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 13 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 76 एल एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या. 76एम, 76एन तथा 76ओ एवं उनकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात:-

76एम.	4. भू-उपयोग परिवर्तन (स्थानीय स्तरीय)	60 दिवस (पूर्ण एवं संबंधित दस्तावेज संलग्न करने पर)	सचिव, विकास प्राधिकरण/ सचिव नगर विकास न्यास	उपायुक्त, विकास प्राधिकरण/ उप सचिव, नगर विकास न्यास	सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू-उपयोग समिति व मुख्य नगर नियोजक, राज.	प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग
76एन.	5. भू-उपयोग परिवर्तन (राज्य स्तरीय)	90 दिवस (पूर्ण एवं संबंधित दस्तावेज संलग्न करने पर)	सचिव, विकास प्राधिकरण/ सचिव, नगर विकास न्यास	उपायुक्त, विकास प्राधिकरण/ उप सचिव, नगर विकास न्यास	अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग	माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग
76ओ.	6. टेलीकाम टावर/ओ.एफ.सी. केबल हेतु अनुमति जारी किया जाना	60 दिवस (पूर्ण एवं संबंधित दस्तावेज संलग्न करने पर)	जोन उपायुक्त, विकास प्राधिकरण/ उप सचिव, नगर विकास न्यास	तहसीलदार, विकास प्राधिकरण/ सचिव, नगर विकास न्यास	अतिरिक्त जिला कलेक्टर	जिला कलेक्टर

"

(vii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 15 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 108एम एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या. 108एन से. 108डबल्यू एवं उनकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात:-

"

108एन.	पब्लिक टायलेट का रख रखाव	01 कार्य दिवस	निगम स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त, नगर परिषद, आयुक्त, नगर पालिका, अधिषापी अधिकारी	निगम/परिषद/पालिका स्तर पर उपायुक्त/स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक/मुख्य सफाई निरीक्षक/सफाई निरीक्षक/तकनीकी अधिकारी (अभियन्ता)/राजस्व निरीक्षक एवं नामांकित कार्मिक	महापौर/सभा पति/अध्यक्ष संबंधित नगर निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका/मण्डल संबंधित निकाय
108ओ.	इन्दिरा रसोई योजना के संबंध में शिकायत	02 कार्य दिवस	निगम स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त, नगर परिषद, आयुक्त, नगर पालिका, अधिषापी अधिकारी	उपायुक्त/स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक/मुख्य सफाई निरीक्षक/सफाई निरीक्षक/ राजस्व निरीक्षक एवं नामांकित कार्मिक	महापौर/सभा पति/अध्यक्ष संबंधित नगर निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका/मण्डल संबंधित निकाय
108पी.	स्ट्रीट लाईट रिपेयरिंग	02 कार्य दिवस	निगम स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त, नगर परिषद, आयुक्त, नगर पालिका, अधिषापी अधिकारी	उपायुक्त/अधिषापी अभियंता, सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)/विद्युत निरीक्षक/सहायक विद्युत निरीक्षक/लाईनमैन/विद्युत कर्मी एवं नामांकित कार्मिक	महापौर/सभा पति/अध्यक्ष संबंधित नगर निकाय	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगर निकाय
108क्यू.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना के अतिरिक्त नकले एवं सूचना	05 कार्य दिवस या पुराने रिकार्ड से संबंधित सूचना के लिये अधिकतम 30 दिवस	निगम स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त, नगर परिषद, आयुक्त, नगर पालिका, अधिषापी अधिकारी	अतिरिक्त आयुक्त/उपायुक्त/राजस्व अधिकारी/असेसर/रिकार्ड कीपर/शाखा प्रभारी/संबंधित कार्मिक एवं नामांकित कार्मिक	महापौर/सभा पति/अध्यक्ष संबंधित नगर निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका/मण्डल संबंधित निकाय

108आर.	अग्निषमन दुर्घटना पर सहायता (अग्निषमन सेवाओं से सम्बंधित)	01 कार्य दिवस	निगम स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त, नगर परिषद, आयुक्त, नगर पालिका, अधिषाषी अधिकारी	उपायुक्त फायर/मुख्य अग्निषमन अधिकारी/अग्निषमन अधिकारी/सहायक अग्निषमन अधिकारी/फायरमैन/ नामांकित कार्मिक	महापौर/सभा पति/अध्यक्ष संबंधित नगर निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका/मण्डल संबंधित निकाय
108एस.	स्ट्रीट वैंडर्स लाईसेंस जारी करना	03 कार्य दिवस	निगम स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त, नगर परिषद, आयुक्त, नगर पालिका, अधिषाषी अधिकारी	उपायुक्त/स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक/मुख्य सफाई निरीक्षक/सफाई निरीक्षक/ राजस्व निरीक्षक एवं नामांकित कार्मिक	महापौर/सभा पति/अध्यक्ष संबंधित नगर निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका/मण्डल संबंधित निकाय
108टी.	दुग्ध डेयरी बूथ आवंटन करना	07 कार्य दिवस नियमों के अनुसार	निगम स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त, नगर परिषद, आयुक्त, नगर पालिका, अधिषाषी अधिकारी	उपायुक्त/राजस्व अधिकारी/स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक/मुख्य सफाई निरीक्षक/सफाई निरीक्षक/ राजस्व निरीक्षक/ तकनीकी अभियंता एवं नामांकित कार्मिक	महापौर/सभा पति/अध्यक्ष संबंधित नगर निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका/मण्डल संबंधित निकाय
108यू.	सीवर लाईन की सफाई	01 कार्य दिवस	निगम स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त, नगर परिषद, आयुक्त, नगर पालिका, अधिषाषी अधिकारी	उपायुक्त/स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक/मुख्य सफाई निरीक्षक/सफाई निरीक्षक/ तकनीकी अधिकारी (अभियंता)/ राजस्व निरीक्षक एवं नामांकित कार्मिक	महापौर/सभा पति/अध्यक्ष संबंधित नगर निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका/मण्डल संबंधित निकाय
108वी.	साईनेज लाईसेंस जारी करना	45 कार्य दिवस	निगम स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त, नगर परिषद, आयुक्त, नगर पालिका, अधिषाषी अधिकारी	उपायुक्त/ राजस्व अधिकारी/ स्वास्थ्य अधिकारी/ मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक/ मुख्य सफाई निरीक्षक/सफाई निरीक्षक/राजस्व निरीक्षक/ तकनीकी अभियंता एवं नामांकित कार्मिक	महापौर/सभा पति/अध्यक्ष संबंधित नगर निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका/मण्डल संबंधित निकाय
108डबल्यू.	मोबाईल	60 कार्य दिवस	निगम स्तर पर	उपायुक्त/	महापौर/सभा	नगर

			टावर अप्रूवल (1) मोबाईल टावर एन.ओ.सी (2) ओ.एफ.सी. केबल एन.ओ.सी	दिवस	मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त, नगर परिषद, आयुक्त, नगर पालिका, अधिषाषी अधिकारी	राजस्व अधिकारी/स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक/मुख्य सफाई निरीक्षक/सफाई निरीक्षक/राजस्व निरीक्षक/तकनीकी अभियंता एवं नामांकित कार्मिक	पति/अध्यक्ष संबंधित नगर निकाय	निगम/परिषद/पालिका/मण्डल संबंधित निकाय	
--	--	--	--	------	--	---	-------------------------------	---------------------------------------	--

"

(viii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 18 के सामने कॉलम संख्या 4 में विद्यमान खण्ड (xviii) एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नये खण्ड (ixx) एवं (xx) एवं उनकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात:-

"

		(ixx) वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष व अधिक आयु)	15 दिवस (संबंधित दस्तावेज संलग्न करने पर)	मुख्य प्रबंधक	संबंधित लिपिक	उप महा प्रबंधक (यातायात)	कार्यकारी निदेशक (यातायात)	
		(xx) सशस्त्र सेनाओं के शौर्य पदक से सम्मानित व्यक्ति	15 दिवस (संबंधित दस्तावेज संलग्न करने पर)	कार्यकारी प्रबंधक (जन सम्पर्क)	संबंधित लिपिक	उप महा प्रबंधक (प्रशासन)	कार्यकारी निदेशक (यातायात)	

"

(ix) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 21 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 128बी एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या 128सी, 128डी तथा 128ई एवं उनकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात:-

"

	128सी.	1- स्पेशल परपज व्हीकल को आवंटित भूमि में मानचित्र के अनुमोदन हेतु	45 कार्य दिवस	वरिष्ठ नगर नियोजक, रीको	उप नगर नियोजक/सहायक नगर नियोजक, रीको	सलाहकार (इन्फ्रा), रीको	प्रबन्ध निदेशक, रीको	
		2- गैर-औद्योगिक भवनों के भवन निर्माण के अनुमोदन हेतु (एकीकृत भवन विनिमय-	30 कार्य दिवस	संबंधित इकाई प्रभारी रीको	संबंधित इकाई प्रभारी के अलावा संबंधित इकाई/उप इकाई कार्यालय का वरिष्ठतम तकनीकी अधिकारी	सलाहकार (इन्फ्रा), रीको	प्रबन्ध निदेशक, रीको	

		2017 के प्रावधान के अनुसार)					
		3- रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा अनुमति के उपरान्त कम्पनी के नाम परिवर्तन तथा भागीदारी/एलएलपी	07 कार्य दिवस	संबंधित इकाई प्रभारी रीको	संबंधित इकाई प्रभारी के अलावा संबंधित इकाई/उप इकाई कार्यालय का वरिष्ठतम तकनीकी अधिकारी	सलाहकार (इन्फ्रा), रीको	प्रबन्ध निदेशक , रीको
		4- मूल लीजडीड उद्यमी को देना अथवा वित्तीय संस्थान को लीजडीड गिरवी रखने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना	03 कार्य दिवस	संबंधित इकाई प्रभारी रीको	संबंधित इकाई/उप इकाई कार्यालय का अनुभाग अधिकारी/ शाखा प्रभारी / वरिष्ठ सहायक/ कनिष्ठ सहायक	सलाहकार (इन्फ्रा), रीको	प्रबन्ध निदेशक , रीको
		5- लीजडीड निष्पादन हेतु	03 कार्य दिवस	अधिकृत प्राधिकारी, रीको	संबंधित इकाई प्रभारी के अलावा संबंधित इकाई/उप इकाई कार्यालय का वरिष्ठतम तकनीकी अधिकारी	संबंधित इकाई प्रभारी, रीको	सलाहकार (इन्फ्रा), रीको
128डी		1- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (उद्योग विभाग द्वारा इच्छुक युवाओं के आवेदन पत्रों को चयन के पश्चात ऋण स्वीकृति हेतु बैंको का अग्रेषण किया जाना)	07 कार्य दिवस	महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र	योजना के प्रभारी अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र	संयुक्त निदेशक बैंकिंग एवं स्वरोजगार	आयुक्त, उद्योग विभाग

		2- मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (उद्योग विभाग द्वारा इच्छुक युवाओं के आवेदन पत्रों को चयन के पश्चात ऋण	07 कार्य दिवस	महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र	योजना के नोडल अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र	संयुक्त निदेशक बैंकिंग एवं स्वरोजगार	आयुक्त, उद्योग विभाग
	128ई	निवेशकों द्वारा की गई क्वेरी	15 दिवस	प्रबंधक/ सहायक महाप्रबन्धक	-	महाप्रबन्धक	अतिरिक्त आयुक्त

"

(x) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 25 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 154 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या 154ए तथा 154बी एवं उनकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात:-

"

154ए.	प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हेन्डलिंग) नियम, 2016 के तहत पंजीकरण	90 दिवस	अध्यक्ष	सदस्य सचिव एवं गुप इन्चार्ज	शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार	राष्ट्रीय हरित अधिकरण
			क्षेत्रीय अधिकारी	सहायक पर्यावरण अभियंता, विज्ञान अधिकारी, कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता/ कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार	राष्ट्रीय हरित अधिकरण
154बी.	ई-वेस्ट (प्रबन्धन) नियम, 2016 के तहत प्राधिकरण	120 दिवस	अध्यक्ष	सदस्य सचिव एवं गुप इन्चार्ज	शासन सचिव, पर्यावरण विभाग,	राष्ट्रीय हरित अधिकरण
			क्षेत्रीय अधिकारी	सहायक पर्यावरण अभियंता, विज्ञान अधिकारी, कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता/ कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार	राष्ट्रीय हरित अधिकरण

"

(xi) सारणी के कॉलम संख्या 1 के विद्यमान क्रम संख्याक 25 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नांकित नये क्रम संख्या 26 एवं 27 तथा उनकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात:-

"

26 -	आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	155.	षहरी क्षेत्र में,- 1.रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया जन्म अथवा मृत्यु का निशुल्क रजिस्ट्रेशन करने के लिए घटना की सूचना	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)	जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित कार्मिक	आयुक्त, नगर निगम/ आयुक्त, नगर परिषद/ अधिशायी	महापौर/ सभापति/ अध्यक्ष
			2.जन्म या मृत्यु की तारीख से 21 दिवस के पश्चात विलम्ब शुल्क जमा कराने के बाद निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने पर	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)	जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित कार्मिक	आयुक्त, नगर निगम/ आयुक्त, नगर परिषद/ अधिशायी अधिकारी,	महापौर/ सभापति/ अध्यक्ष
			3. विलम्बित रजिस्ट्रीकरण अन्तर्गत अनुज्ञा प्रक्रिया जन्म या मृत्यु की तारीख से 30 दिवस के पश्चात परन्तु 1 वर्ष के भीतर घटना पंजीकृत कराने हेतु जारी की जाने वाली अनुज्ञा/आदेश	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	जिला रजिस्ट्रार एवं आयुक्त नगर निगम	पदस्थापित अधिकारी	महापौर	अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार एवं जिला कलक्टर
			4.जन्म या मृत्यु की तारीख से 1 वर्ष पश्चात घटना पंजीकृत कराने हेतु जारी की जाने वाली अनुज्ञा/आदेश	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार	नायब तहसीलदार	उपखण्ड अधिकारी	अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार एवं जिला कलक्टर

			5.जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में रजिस्ट्री को ठीक या रदद् करना (प्रक्रिया पूर्ण करने पर)	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)	जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित कार्मिक	आयुक्त, नगर निगम/ आयुक्त, नगर परिषद/ अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका	महापौर/ सभापति/ अध्यक्ष	
			6.जन्म प्रमाण पत्र में नाम जोड़ना	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)	जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित कार्मिक	आयुक्त, नगर निगम/ आयुक्त, नगर परिषद/ अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका	महापौर/ सभापति/ अध्यक्ष	
			7.विवाह पंजीयन एवं प्रमाण पत्र जारी करना	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)	जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित कार्मिक	आयुक्त, नगर निगम/ आयुक्त, नगर परिषद/ अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका	महापौर/ सभापति/ अध्यक्ष	
		156-	ग्रामीण क्षेत्र में,- 1.जन्म अथवा मृत्यु का निशुल्क रजिस्ट्रेशन करने के लिए घटना की सूचना जन्म या मृत्यु की तारीख से 21 दिवस के भीतर प्रस्तुत किये जाने पर	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं पदेन ग्राम विकास अधिकारी	वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं विकास अधिकारी	उप मुख्य रजिस्ट्रार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	

			2.जन्म प्रमाण पत्र मे नाम जोड़ना	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं पदेन ग्राम विकास अधिकारी	वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं विकास अधिकारी	उप मुख्य रजिस्ट्रार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
			3.जन्म या मृत्यु की तारीख से 21 दिवस के पश्चात परन्तु 30 दिवस के भीतर विलम्ब शुल्क जमा कराने के पश्चात नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करने पर	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं पदेन ग्राम विकास अधिकारी	वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं विकास अधिकारी	उप मुख्य रजिस्ट्रार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
			4.जन्म या मृत्यु की तारीख से 30 दिवस के पश्चात परन्तु 1 वर्ष के भीतर अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं विकास अधिकारी की अनुज्ञा एवं विलम्ब शुल्क जमा कराने के पश्चात नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करने पर	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं पदेन ग्राम विकास अधिकारी	वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं विकास अधिकारी	उप मुख्य रजिस्ट्रार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
			5.जन्म या मृत्यु की तारीख से 1 वर्ष पश्चात कार्यपालक मस्जिदट्रेट की अनुज्ञा एवं विलम्ब शुल्क जमा कराने के पश्चात नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करने पर	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं पदेन ग्राम विकास अधिकारी	वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं विकास अधिकारी	उप मुख्य रजिस्ट्रार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	

			6.जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में रजिस्ट्री को ठीक या रदद करना (प्रक्रिया पूर्ण करने पर)	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं पदेन ग्राम विकास अधिकारी	वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं विकास अधिकारी	उप मुख्य रजिस्ट्रार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
			7.विवाह पंजीयन एवं प्रमाण पत्र जारी करना	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं पदेन ग्राम विकास अधिकारी	वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं विकास अधिकारी	उप मुख्य रजिस्ट्रार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
		157-	राजकीय चिकित्सालय,- रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया जन्म अथवा मृत्यु का निशुल्क रजिस्ट्रेशन करने के लिए घटना की सूचना जन्म या मृत्यु की तारीख से 21 दिवस के भीतर प्रस्तुत किये जाने पर	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	उप रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)	जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन से संबंधित कार्मिक	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	
		158-	जन-आधार पंजीयन कर आई.डी. व जन-आधार ई-कार्ड जारी करना।	45 दिवस	विकास अधिकारी/उप खण्ड अधिकारी	तहसीलदार	अति. जिला जन आधार योजना अधिकारी (उप/सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)	जिला कलक्टर (जिला जन आधार योजना अधिकारी)	
		159-	बिजनेस रजिस्ट्रेशन नम्बर जारी कर बी.आर.एन.कार्ड प्रदान करना।	07 दिवस	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी (आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)	सांख्यिकी निरीक्षक (पदाभिहित बी.आर.एन)	उप/सहायक निदेशक (आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)	निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव एवं राज्य बिजनेस रजिस्ट्रार	

"

27	पर्यटन विभाग	160	1. राज्य में फिल्म शूटिंग की अनुमति प्रदान करना	15 दिवस	निदेशक/आयुक्त पर्यटन	संयुक्त निदेशक (निवेश)	प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन	-	-
			2. ट्रेवल एजेंसी/एक्सर्सन एजेंसी/सफारी आपरेटर का पंजीकरण	15 कार्य दिवस (संबंधित जिला पर्यटन कार्यालय से आवेदन पूर्णता की सूचना तथा निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त)	निदेशक / आयुक्त पर्यटन	संयुक्त निदेशक (ट्रेड)	प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन	-	-

"

[No. F16(1)RPG/2017]
राज्यपाल के आदेश से,

अश्विनी भगत,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।